कार्यालय प्राचार्य

शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय,रायपुर (छ.ग.)

वेब साइट :– www.gnscr.ac.in ई.मेलः– principal.npgcsr@gmail.com

क्रमांकः /2204/2023 रायपुर, दिनांक 17/04/2023

अंको की पुनर्गणना संबंधी नियम
(अध्यादेश कमांक 5 व 6 के प्रावधान के अनुसार)

1. परीक्षार्थी महाविद्यालय द्वारा पुनर्गणना हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत, नियमों के अधीन पुनर्गणना हेतु आवेदन करे।
2. पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय के छात्रशाखा से आवेदन पत्र प्राप्त कर परिपूरित कर सकते है। सुविधा की दृष्टि से महाविद्यालय की वेबसाइट **www.gnscr.ac.in** से भी आवेदन प्राप्त कर सकते है। (वेबसाइट से प्राप्त आवेदन पत्र जमा करने पर आवेदन पत्र शुल्क रू. 20/– पुनर्गणना शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य है।
3. महाविद्यालय की वार्षिक/सेमेस्टर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राऍ अपनी किसी भी सैद्धांतिक लिखित परीक्षा के विषयों/प्रश्नपत्रों मे प्राप्त किये अंको की पुनर्गणना हेतु प्राचार्य को आवेदन कर सकते है। **ऐसा आवेदन महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है**। इस तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. संशोधित अध्यादेश 170 के अंतर्गत स्नातकोत्तर (सेमेस्टर प्रणाली) के कक्षाओं में कंडिका 4(5) के अनुसार परीक्षार्थी केवल पुनर्गणना (**Retotaling**) के लिए आवेदन कर सकते है।
5. अध्यादेश 150 के अंतर्गत स्नातकोत्तर (सेमेस्टर प्रणाली) **सूचना प्रौद्यागिकी** के कक्षा में कंडिका 10 के अनुसार परीक्षार्थी पुनर्गणना (**Retotaling**) के लिए आवेदन कर सकते है।
6. अध्यादेश 67 के अंतर्गत पी.जी.डी.सी.ए. (सेमेस्टर प्रणाली) एवं अध्यादेश 129 के अंतर्गत डी.सी.ए. (सेमेस्टर प्रणाली) के कक्षा में परीक्षार्थी केवल पुनर्गणना (**Retotaling**) के लिए आवेदन कर सकते है।
7. अध्यादेश 197 के अंतर्गत स्नातक (सेमेस्टर प्रणाली) के कक्षाओं में कंडिका 12(2) के अनुसार परीक्षार्थी केवल पुनर्गणना (**Retotaling**) के लिए आवेदन कर सकते है।
8. अध्यादेश 06 के अंतर्गत स्नातक (वार्षिक प्रणाली) के कक्षाओं में कंडिका 25(1) के अनुसार परीक्षार्थी पुनर्गणना(**Retotaling**) के लिए आवेदन कर सकते है।
9. पुनर्गणना (**Retotaling**) हेतु अंक सूची की प्रति लगाना अनिवार्य है। महाविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त अंकसूची के आधार पर भी पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है।
10. पुनर्गणना (**Retotaling**) हेतु निम्नलिखित शुल्क निर्धारित है–

कं	कक्षा	निर्धारित शुल्क
1	स्नातक (सेमेस्टर प्रणाली)	रू.100/– (प्रति विषय)
2.	स्नातक (वार्षिक प्रणाली)	रू.100/– (प्रति प्रश्न पत्र)
3.	स्नातकोत्तर/डिप्लोमा (सेमेस्टर प्रणाली)	रू.100/– (प्रति प्रश्न पत्र)

11. पुनर्गणना के परिणाम की जानकारी महाविद्यालय के माध्यम से स्वतः लेनी होगी। महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी एवं महाविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
12. पुनर्गणना आवेदन पत्र के साथ कक्षा, विषय/प्रश्न पत्र कं. का उल्लेख अवश्य करें।

17.04.23

परीक्षा नियंत्रक
स्वशासी परीक्षा

17/4/23

प्राचार्य
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)